राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

63311-615

क्रमांकः– एफ 2()आ.क.को/लेखा./आईसीडीएस /2019/ जयपुर, दिनांकः 27/04/2022

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं (समस्त)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–2023 में सामूहिक बचत एंव बीमा योजना अंतर्गत व्यय करने के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः–वित्त (आय व्ययंक अनुभाग) विभाग जयपुर का परिपत्र कमांक प.4(48)वित्त–1(1) आ. व्यय/2021 दिनांक 29.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 से सुगम समेकित (Consolidated) POOL के रुप में विभाग के लिए विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण [illegible] वितरण अधिकारियों द्वारा बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित POOL मे स्वतः उपलब्ध हो जाएगी।

आंगनबाड़ी कल्याण कोष अंतर्गत संचालित योजना को सामूहिक बचत एंव बीमा योजना नाम दिया गया। उक्त योजना अंतर्गत मई एंव नवम्बर माह में दो किश्तो में भारतीय जीवन बीमा को भुगतान किया जाता है। अतः अधीनस्थ परियोजना कार्यालय चालू वित्तीय वर्ष 2022–2023 में उक्त योजना से लाभान्वित मानदेय कर्मियों की संख्या के आधार पर विभागीय परिपत्र कमांक 66173 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार मई एंव नवम्बर माह में देय दोनो किश्तों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को यथा समय करवाया जाना सुनिश्चित करावें। [illegible]न बीमा योजना निगम को विलम्ब से भुगतान किये जाने पर आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

63616-48
27/4/2022

प्रतिलिपिः–1. उपनिदेशक, [illegible]हिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
2 एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट/मेल पर अपलोड करने हेतु।